

संख्या- 106/ख

कार्यालय जनपद न्यायालय, गाजीपुर।

आदेश

दिनांक- 19-04-2021

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ई-मेल पत्र सं० 1944/LXXII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 14-04-2021 के माध्यम से जिला न्यायालयों के संचालन हेतु नवीन दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं जिसके अनुपालन में दिनांक 17-04-2021 को प्रशासनिक आदेश सं० 104/XV पारित कर जनपद न्यायालय में न्यायालयों के संचालन की व्यवस्था की गयी है। उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में जनपद न्यायालय में स्थित जिन न्यायालयों में विडियो-कान्फ्रेंसिंग/JITSI के माध्यम से जमानत/अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्रों एवं अतिआवश्यक कार्यों की सुनवाई की जानी है, उन न्यायालयों के लिए दिनांक 19-04-2021 से अग्रिम आदेश तक निम्नलिखित काल खण्ड (Time Slot) निर्धारित किया जाता है :-

Time Slot

Time Slot	Court Name	Allotted Court for Bail, Release & Urgent Work	Meeting I.D.
10:00 AM to 11:00 AM	CJ (JD) Ghazipur.	All Civil Judge (J.D) Cadre for Civil Work	-
11:30 AM to 12:00 PM	District & Sessions Judge, Ghazipur.	-	-
11:00 AM to 11:30 AM	ADJ 1 st Ghazipur.	ADJ Court No.3, Ghazipur.	-
12:00 PM to 12:30 PM	Spl. Judge, SC/ST (PA) Act, Ghazipur.	ADJ Court No.2, Ghazipur.	-
12:30 PM to 01:00 PM	Spl. Judge, E.C. Act Ghazipur.	ADJ Court No.4, 6 & 7 Ghazipur.	-
01:00 PM to 01:30 PM	Spl. Judge, POCSO Act 1 st Ghazipur.	Spl. Judge, POCSO Act Court No. 2 & 3, Ghazipur.	-
1:30 PM to 02:00 PM	J.M., Ghazipur.	1 st M.M. & 9 th M.M. Ghazipur for Criminal Work.	-
02:00 PM to 02:30 PM	CJM, Ghazipur.	F.T.C.(J.D.)/J.M, 7 th M.M., Ghazipur for Criminal Work.	-
2:30 PM To 03:00 PM	ACJM, Ghazipur.	J.J. Board, 4 th M M, Ghazipur for Criminal Work.	-
03:00 PM To 03:30 PM	ADJ/FTC 2 nd , Ghazipur.	FTC 1 st , 5 th ADJ/ Gangster Act, Ghazipur.	-
3:30 PM To 4:00 PM	CJ (S.D.), Ghazipur	FTC (S.D.), Ghazipur.	-

न्यायालय की कार्यवाही हेतु JITSI Video Conferencing Software का प्रयोग किया जायेगा।


विडियो कान्फ्रेंसिंग (JITSI Meet App) से सम्बन्धित लिंक को सम्बन्धित अधिवक्ता/अभियोजन पक्ष को सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी अपने न्यायालय में कार्यरत एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी की सहायता से सूचित करेंगे, जिसके माध्यम से सम्बन्धित अधिवक्ता/अभियोजन पक्ष न्यायिक कार्यवाही में विडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा न्यायालय परिसर के बाहर से भी नियत समय के अनुसार भाग ले सकेंगे।

वाह्य स्थित न्यायालय सैदपुर, मुहम्मदाबाद गाजीपुर के न्यायिक अधिकारीगण को आदेशित किया जाता है कि वे स्वविवेक से अपने न्यायालय का काल-खण्ड स्वयं निर्धारित कर JITSI Video Conferencing Software के माध्यम से मा० उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सुनवाई करना सुनिश्चित करें।

सिस्टम अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि यह विडियो कान्फ्रेंसिंग (JITSI Meet App) के माध्यम से सुनवाई हेतु समस्त कर्मचारीगण से समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ सभी न्यायालयों से विवरणी प्राप्त कर रिपोर्ट मा० उच्च न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

दिनांक:- 19-04-2021


19/4/21
(प्रशांत मिश्रा)

जनपद न्यायाधीश,
जनपद न्यायाधीश
गाजीपुर